Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golumber, Nehru Marg, Patna -800001
(Registration No -663/2003)
Website : basabihar.com, Email Id : infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No. - 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No. - 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No. 09 Date 22.02.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन देने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विगत कुछ वर्षों में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीगण विभिनन समस्याओं से ग्रसित हैं, जिसके निराकरण हेतु विभिन्न अवसरों पर संघ के स्तर से पत्राचार करने के बाद भी उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। कुछ ज्वलंत समस्याएं जिसका निराकरण नितान्त आवश्यक है, वह निम्न प्रकार हैः–

1. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली 1996 को संशोधित किए जाने के संबंध में। (अनुलग्नक–1)
2. पद की रिक्त रहने के बावजूद प्रोन्नति बाधित रखने का सरकार का आदेश को वापस लेने के संबंध में। (अनुलग्नक–2)
3. बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों की नियुक्ति लेवल–11 से करने के संबंध में।
4. अपर अनुमंडल पदाधिकारियों का पद समाप्त करने के संबंध में। (अनुलग्नक–3)
5. Non SCS के पदाधिकारियों को IAS में नियुक्ति बन्द करने तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–4900, दिनांक–02.04.2012 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के संबंध में। (अनुलग्नक–4)
6. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन से उत्पन्न विसंगतियों के संबंध में। (अनुलग्नक–5)
7. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण से संबंधित नीतिगत निर्णयों के अनुपालन के संबंध में। (अनुलग्नक–6)

Scanned with CamScanner

8. पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संबंध में। (अनुलग्नक–7)
9. बिहार कारा सेवा के अनुरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को भी 01.01.1996 के प्रभाव से 6500–10500 का वेतनमान 8000–13500 स्वीकृत करने के संबंध में। (अनुलग्नक–8)

10. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरूद्ध लंबित विभागीय कार्यवाही एवं निलंबन निष्पादन की कार्यवाही त्वरित गति से करने के संबंध में।

11. प्रत्येक जिले में परीक्ष्यमान उपसमाहर्त्ता के लिए समर्पित वाहन और कार्यालय स्थान सभी परीक्ष्यमान को उपलब्ध कराने के संबंध में।

12. सभी परीक्ष्यमान उपसमाहर्त्ता को आवास, कार्यालय में महिला शौचालय, सहायक कर्मचारी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

13. प्रोन्नति के लिए नियमित डी०पी०सी० के लिए समय तय किया जाना चाहिए और रिक्तियों (पदोन्नति कैलेंडर) के अनुसार पूरे वर्ष पदोन्नति के लिए पैनल तैयार किए जाने के संबंध में।

14. संशोधित बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियम में संयुक्त/अपर सचिव स्तर के बीएएस अधिकारियों के लिए निश्चित संख्या में जिला पदाधिकारी के पद की पहचान के संबंध में।

15. बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में। (अनुलग्नक–9)

उक्त वर्णित समस्याओं से संबंधित हालिया पत्राचारों की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा उठाए गए उक्त समस्याओं का यथाशीघ्र निष्पादन करने की महती कृपा करेंगे।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

22/02/2022

(अनिल कुमार)

Scanned with CamScanner

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-633/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 04 Date 06.01.2020

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार, पटना।

विषय:- बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 (अधिसूचना संख्या-12/नि.-1035/91का॰-2310, दिनांक-14.03.1997) में संशोधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के गठन के लम्बे अंतराल के बाद वर्ष 1997 में इस संवर्ग के पदाधिकारियों के सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 को 14 मार्च, 1997 में पहली बार अधिसूचित किया गया था, जिसकी छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राज्य के राजस्व, विकास, निर्वाचन एवं आपदा सहित विधि-व्यवस्था संधारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सफल निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे है तथा प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। परन्तु सरकार के इतने महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में भूमिका निभानेवाले पदाधिकारियों के सेवा संवर्ग नियमावली में विगत 23 वर्षों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

भवदीय अवगत है कि आप ही की पहल पर वर्ष 2010 में इस सेवा संवर्ग की भूमिका को प्रशासन में बेहतर एवं प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से इसका पूर्णगठन किया गया था। पदाधिकारियों की संख्या भी सीमित कर मात्र 851 रखी गई थी। इस पूनर्गठन से अपेक्षा थी कि महत्वपूर्ण पदों पर अपेक्षाकृत युवा पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाए। परन्तु आज की तिथि में भवदीय के इस सुधारात्मक ध्येय को अपेक्षित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका और इसका परिणाम यह है कि इस संवर्ग के पदों की संख्या लगभग दोगुनी (1600 से भी अधिक) कर दिया गया। प्रोन्नति के उच्चतम पायदान पर अधिकतर पद रिक्त है

Scanned with CamScanner

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-633/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No ..... Date .....

और वर्तमान स्थिति यह है कि जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति 1992 में हुई थी उनमें से भी अधिकांश अभी अपर समाहर्ता स्तर के पद पर ही कार्यरत है। राज्य सेवा के ही अन्य संवर्ग के प्रोन्नति से यदि तुलना की जाए तो पता चलता है कि बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार लेखा सेवा इत्यादि संवर्ग के समकक्ष पदाधिकारियों को काफी पहले ही संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष पदों पर प्रोन्नति दी जा चुकी है।

लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं होने के कारण एवं दूसरी सेवाओं के कनीय पदाधिकारियों के वरीय स्तर के पद पर प्रोन्नति होने से इस सेवा के पदाधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक पारदर्शी सेवा संवर्ग नियमावली के नहीं होने के कारण भी इस तरह की विसंगति में वृद्धि होती जा रही है।

बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों में कालांतर में इतनी विसंगतियाँ आ गई है कि इस संवर्ग के पदाधिकारियों के पदस्थापन या प्रोन्नति या वेतन विसंगति के मामलों में अपेक्षित एवं न्यायोचित लाभ समय लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई ऐसे मामले है जिसे विभाग के स्तर पर निर्धारित अवधि में सामान्य तौर पर निष्पादित किया जा सकता था, परन्तु निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण संघ को बाध्य होकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है।

राज्य के कई सेवाओं के संवर्ग नियमावली में समय-समय पर बिहार सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किए गए है, यथा **बिहार न्याय (उच्च) सेवा नियमावली संशोधन, 2011**। किन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा, जो बिहार सरकार की कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग रहा है, अभी तक इस मामले में उपेक्षित है।

अन्य राज्यों में भी राज्य असैनिक/प्रशासनिक सेवा संवर्ग के नियमावली में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन निम्न प्रकार से किए गए है:-

(1) **हरियाणा असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) नियमावली, 2008**
(2) **केरल प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2017**

Scanned with CamScanner

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-633/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No ..... Date .....

(1) हरियाणा असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) नियमावली, 2008
(2) केरल प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2017
(3) जम्मू एवं कश्मीर प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2008

अतः महोदय से अनुरोध है कि देश के विभिन्न राज्यों के राज्य प्रशासनिक सेवा नियमावली के अनुकरणीय प्रावधानों को अंगीकृत करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1996 में संशोधन करने तथा इस सेवा संवर्ग की विसंगतियों को दूर करने हेतु संबंधित को निदेश देने की कृपा की जाए ताकि इस संवर्ग के पदाधिकारियों को पदस्थापन/प्रोन्नति/ वेतन/सेवा शर्त जैसे सामान्य मामलों में भी समय न्यायोचित एवं अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

6/1/2020

(अनिल कुमार)

Scanned with CamScanner

Service Associati

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 फाल्गुन 1918 (श०)

(सं० पटना, [illegible]) पटना, सोमवार, 16 मार्च, 1997

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 199[illegible]

अधिसूचना

16 मार्च, 1997

सं० [illegible], दिनांक 16 मार्च 1997—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(i) यह नियमावली "बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 199[illegible]" कही जायेगी।

(ii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं—इस नियमावली में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "बिहार प्रशासनिक सेवा" से अभिप्रेत है राज्य की प्रशासनिक सेवा;

(ख) "संवर्ग पदाधिकारी" से अभिप्रेत है बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य;

(ग) "कोटि" से अभिप्रेत है [illegible] के अनुसार सेवा का [illegible] विनिर्दिष्ट है;

(घ) "संवर्ग पद" से अभिप्रेत है इस नियमावली के [illegible] द्वारा [illegible] राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा परिभाषित पद।

(ङ) "राज्य" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य;

(च) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग।

(छ) "वर्ष" से अभिप्रेत है, पंचांग वर्ष।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का गठन—बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का गठन बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को मिलाकर होगा।

(5) संवर्ग की संख्या और संरचना :—

(1) नियम 3 के अधीन गठित संवर्ग की संख्या और संरचना का पुनर्वलोकन, राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाएगा और इस [illegible] राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और जबतक ऐसा प्रकाशन नहीं हो जाता तबतक यह इन नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पहले प्रवृत्त स्थिति में बना रहेगा ।

(ii) राज्य सरकार प्रत्येक तीन वर्ष पर [illegible] निम्नलिखित से गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर संवर्ग की संख्या और संरचना की समीक्षा करेगी :—

(क) मुख्य सचिव—अध्यक्ष,
(ख) सदस्य, राजस्व पर्षद—सदस्य,
(ग) वित्त सचिव—सदस्य,
(घ) सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सदस्य,
(ङ) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग—सदस्य,
(च) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग—संयोजक ।

परन्तु यह कि उक्त समिति संवर्ग की संख्या और संरचना की समीक्षा करते समय इस तथ्य पर ध्यान रखेगी कि विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे पद अन्य संवर्गों के पदाधिकारियों द्वारा भी धारित किए जा रहे हैं तथा वह विभिन्न संवर्गों की नियमावली के उपबंधों को समन्वित करने का प्रयास करेगी ।

5अ. संवर्गीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति :—

(1) संवर्गीय पदाधिकारी को राज्य या केन्द्र सरकार के किसी विभाग में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा ;

(2) संवर्गीय पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा सेवा में निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा :

(i) राज्य सरकार के पूर्णतः या आंशतः स्वामित्व या नियंत्रण वाले [illegible] कम्पनी [illegible] या निगम या निकाय में चाहे वे निगमित हों [illegible] या [illegible] निकाय, स्थानीय निकाय या सहकारी समिति में,

(ii) किसी राष्ट्रीय संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या स्वायत्त निकाय में, जो राज्य सरकार या किसी निकाय द्वारा नियंत्रित न हो, [illegible]

(iii) केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः नियंत्रण वाले किसी कार्यालय में ;

परन्तु यह कि किसी भी संवर्गीय पदाधिकारी को उसकी सहमति लिए बिना [illegible] सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में तथा उपर्युक्त खंड (i), (ii) एवं (iii) में उल्लिखित किसी संगठन या निकाय में बिना मांग के प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त उप-नियम (i), (ii) एवं (iii) के अधीन किसी संवर्गीय पदाधिकारी को किसी ऐसे पद पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा [illegible] का पारिश्रमिक उस पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किये जा रहे वेतनमान से कम हो जो वह अपने संवर्ग के धारित पद पर प्राप्त करता हो ।

6. संवर्गीय पद को गैर-संवर्गीय पदाधिकारी द्वारा भी [illegible] नियमावली के नियम-3 के अधीन [illegible] संवर्गीय पदाधिकारी द्वारा ही भरी जाएगी । [illegible]

परन्तु यह कि अपवादित स्थिति में [illegible] कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से [illegible] के पद गैर-संवर्गीय पदाधिकारी से भरे जा सकेंगे । [illegible] पदाधिकारी

7. सुधार निर्वचन—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इस नियमावली [illegible] होगा ।

परन्तु यह कि राज्य सरकार को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग [illegible] शक्तियों को राज्य सरकार के किसी उपयुक्त प्राधिकारी को [illegible] पदाधिकारी को कुछ [illegible]

8. कठिनाइयों का निवारण—यदि इस नियमावली के [illegible] नियमावली के अनुप्रयोग में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इस पर निर्णय देगी और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

(सं०/नि०/97/035191/का०—2310)

पटना,
दिनांक 13 मार्च 1997

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
[illegible] कुमार,
[illegible] सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा [illegible] प्रकाशित एवं मुद्रित [illegible]

अनुलग्नक (2)

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-663/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 05 Date 29.01.2022

To,
The Chief Secretary,
Govt of Bihar, Patna

The Additional Chief Secretary,
General Administrative Department,
Govt of Bihar, Patna

Subject: To initiate the promotion of Bihar Administrative Officers by quashing the GAD order no.5066 dated 11.04.2019

Ref.: Order dated 28.01.2022 of Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Jarnail Singh vs L N Gupta, SLP (C) 30621/2011 read with Civil Appeal No.-4880/2017 arising out of order dated 30.07.2015 in LPA 1066/2015 of Hon'ble Patna High Court.

Sir,

1. With reference to above mentioned subject, the issue of promotion is pending for more than last four years because State of Bihar has put a blanket prohibition on all kinds of promotions in the State in purported compliance of the order passed by the Hon'ble Patna High Court in Contempt Petition. It is respectfully submitted that there is no law or judicial order prohibiting the regular promotions in the State Services. Instead of filing show cause, State of Bihar preferred an appeal against the order passed in concerned Judicial Contempt Case.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

However, before any order passed by Hon'ble Supreme Court in the above referred Contempt Petition, the State Government vide GAD order no.5066 dated 11.04.2019, has stopped all kind of promotions in the State causing serious prejudices to the members of the Bihar Administrative Officers Association of the State government.

2. That in view of the order dated 11th April 2019, all promotions in the State have virtually come to a standstill. As a consequence, no person, whether from the reserved or unreserved category, has been promoted. These employees are suffering on account of stagnation and are not in a position to enjoy any promotional benefits. Many of the government employees who are a part of the Association are even nearing their age of retirement. These employees have diligently and assiduously discharged their duties over the years and would have had a legitimate expectation of being considered for promotion.

3. All the matters of reservation in promotion pending and under consideration in Hon'ble Supreme Court were tagged with Special Leave Petition (C) No. 30621/2011, Jarnail Singh v Lachhmi Narayan Gupta. It includes Civil Appeal No.-4880/2017 filed by Bihar Government.

4. Hon'ble Supreme Court of India on 28.01.2022, in the matter of Jarnail Singh Vs L N Gupta SLP (C) 30621/2011, has grouped the issues of reservation in promotion under following points and laid down the speaking principals on issue of reservation in promotions:

I. **Yardstick for Arriving at Quantifiable data**: Court stated that as per Jarnail Singh and Nagaraj cases, no such yardstick is being laid down for determining the adequacy of representation of SC/ST in promotional posts for the purpose of providing reservation by the Court. It has to be decided by the State itself.

II. **On quantification of data**: It is the obligation of the State to collect the data. Such collection of SC and ST data has to be on the

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

basis of grade/category of posts for which promotions are sought. Lest such data is meaningless.

III. **Proportional Representation as test of adequacy:** It is for the state to assess the inadequacy of representation of SC/ST in promotional posts, by taking into account relevant factors.

IV. **Review of data:** Review of data on SC and ST representation must be held periodically by the State but the period of time must be reasonable.

V. **Operation of Nagaraj Judgment:** It will have prospective effect. The BK Pavitra II judgment which approved the collection of data on groups rather than cadre has been quashed.

VI. **Quantifiable data and sampling method:** It has been held that the conclusion of the Supreme Court in B.K. Pavitra II approving the collection of data on the basis of 'groups' and not cadres is contrary to the laid down principle by this court in M. Nagraj (Supra) and Jarnail Sing (Supra).

5. That Hon'ble Supreme Court has been pleased to draw the principles of reservation in promotion and has left the working part of policy of promotion to be farmed by the respective states.

6. This is pertinent to draw your kind attention about the fact that Bihar Govt had filed a Civil Appeal no. 4880/2017 in the Hon'ble Supreme Court of India arising out of order dated 30.07.2015 in LPA 1066/2015 of Hon'ble Patna High Court. This Civil appeal too has been tagged by Hon'ble Supreme Court with SLP (C) 30621/2011 in which order has been passed on 28.01.2022. Therefore, the force of order passed by Hon'ble Supreme Court on 28.01.2022 is applicable in case of Bihar too.

7. That in view of the above mentioned facts and circumstances and the new opportunity arising out of 28.01.2022 verdict, you are requested that GAD order no. 5066 dated 11.04.2019 need to be quashed immediately so

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

that the promotions may be granted to the employees of the Bihar Administrative Officers with immediate effect.

29/11/22

(Anil Kumar)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
il Kumar Tiwary
9431085120

int Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 16 Date 11.02.2020

To,

The Chief Secretary,
Govt. Of Bihar, Patna
The Additional Chief Secretary,
General Administration Department
Govt. Of Bihar, Patna

Subject : To abolish the post of Additional Sub Divisional Officer and consequently amending the Bihar Administrative Service Cadre restructuring resolution no 7118 dated 30.05.2018 by enactment of Bihar Administration Service Rules.

Sir,

This refers to General Administration Department resolution no 7118 dated 30.05.2018 by which the post of Additional Sub Divisional Officer (101) has been identified as cadre post of Bihar Administrative Service under unrevised pay band Rs 9300-34800 plus grade pay Rs 5400 (Revised pay Level 9). The post of Additional Sub Divisional Officer (101) was created by Department of General Administration vide letter no 15378/GAD dated 11.11.2014 (Photocopy attached).

(2) The creation of the post of Additional Sub Divisional Officer has violated the basic principle of hierarchical order, rule of command and it should be immediately abolished on the following grounds;

Scanned with CamScanner

(a) Section 23(1) (Subordination of Executive Magistrates) **of Criminal Procedure Code reads as "All Executive Magistrates, other than the Additional District Magistrate, shall be subordinate to the District Magistrate, and** every Executive Magistrate (other than the Sub-divisional Magistrate) exercising powers in a Sub -division shall also be subordinate to the Sub-divisional Magistrate, subject, however, to the general control of the District Magistrate." **Every Additional Sub Divisional Officer has been empowered as executive magistrate and posted in sub division , hence technically and legally both, they are under direct subordination of Sub Divisional Magistrate**. It itself reflects conceptual error of administration while creating the post of ASDM under direct control of SDM.

(b) The post of Additional Sub Divisional Officer is under direct subordination of Sub Divisional Magistrate which is under similar unrevised pay band Rs 9300-34800 plus grade pay Rs 5400(Revised pay Level 9). Therefore, SDM and ASDM are under same pay scale of basic grade but under conflict of seniority.

(c) That by resolution no 2116/Finance dated 27/2/2019 , the post of Executive Magistrate for Rural Development Service Cadre officer under level 9 has been created. This service was meant for the post of Block Development Officer and initially appointed as supervisory level officer. This kind of upgradation has also created conceptual error of rule of command and seniority.

(d) That there is also no set of rules for transfer and posting of SDM and Additional Sub Divisional Officer from basic grade officers of BAS officers. Uncertainty and open scope of discretion in policy of transfer and posting of Basic Grade BAS officers on the post of SDM and Additional Sub Divisional Officer may cause further anomaly in rank and file of BAS cadre

Scanned with CamScanner

officers which is neither in the interest of government nor individual officer.

(e) That the cadre strength of BAS has almost been doubled from 851 to 1634 . The ideal ratio of IAS and BAS cadre strength should be limited to 1:1.5 so that opportunity of lateral induction of young BAS officers into IAS cadre by promotion, as happening in Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh & other State, could be maximised. Hence, on this principle too , the creation of post of Additional Sub Divisional Officer is not appropriate and logical.

(f) That in context of requisition by GAD letter no-4640 dated-30.03.16, the post of SDM/SDC or Equivalent was advertised (Photocopy enclosed) for 60th, 61st & 62nd Combined Joint Competitive Examination by Bihar Public Service Commission, Patna. The plain reading of advertisement itself does not carry the name of the post Additional Sub Divisional Officer and it is beyond doubt that the post of Additional Sub Divisional Officer is not equivalent to the post of Sub Divisional Officer.

(3) That vide resolution no. 7118/GAD dated 30.5.2018(photocopy attached) , the post of Municipal Commissioner under Urban Development and Housing Department has been identified as the post for Additional Secretary of BAS officers under pay matrix Level 13 A whereas, vide letter no 05/N/Misc-24/2014/2503 dated 3/5/2018(photocopy is attached), the post of Municipal Commissioner for BAS and Urban Development Service Cadre Officer under pay scale Rs 15600-39100 + 7600/6600 respectively. This apparent is serious anomaly which means there by that Additional Secretary of BAS and offices of Urban Development service can be posted on post of Municipal Commissioner in different Municipal Corporation, therefore, the resolution of GAD dated 30.5.2018 is defective and not justifiable in nature and fit to be cancelled.

Scanned with CamScanner

(4) All these discrepancies are serious and grave in nature so far Bihar Administrative Service Cadre is concerned and needs special attention by immediate enactment of comprehensive and integrated Bihar Administrative Service Cadre Rules .

(5) Therefore, Bihar Administrative Service Association request you to immediately abolish the post of Additional Sub Divisional Officer and amend the Bihar Administrative Service Cadre restructuring resolution no 7118 dated 30.05.2018 and accordingly enact Bihar Administrative Service Cadre Rules as soon as possible.

Encl : a/a

Yours Sincerely

11/7/2020

(Anil Kumar)

Scanned with CamScanner

far Bihar
tion by
ihar

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञाप संख्या–12 / नि0–1009 / 10–सा0प्र0– /पटना–15, दिनांक–

सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

रेक रूप
ौंत ।

द्वारा– वित्त विभाग ।

विषयः– बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए मूल कोटि के पे–बैण्ड–2 रू0 9300–34800+ग्रेड वेतन रू0 5400 में अपर अनुमंडल पदाधिकारी (Additional Sub-divisional Officer) के पदनाम से कुल 101 पदों का स्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति ।

आदेश :– स्वीकृत ।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के पश्चात् राज्य में अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पदों पर बि0प्र0से0 के पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी पदों पर बि0प्र0से0 के पदाधिकारी के पदस्थापित नहीं होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या एवं अन्य अनुमंडल स्तरीय प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण में हो रही कठिनाई को दूर करने तथा कानून–व्यवस्था को सुदृढ़ एवं विधि सम्मत बनाने के लिए राज्य के सभी अनुमंडल कार्यालयों में अनुमंडल पदाधिकारी के साथ–साथ एक–एक अपर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी को भी पदस्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों के लिए राज्य के 101 अनुमंडल कार्यालयों में पे–बैण्ड–2 रू0 9300–34800+ ग्रेड वेतन रू0 5400 में अपर अनुमंडल पदाधिकारी (Additional Sub-divisional Officer) के 101 पद स्थायी रूप से सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का नियंत्री विभाग सामान्य प्रशासन विभाग हैं । इसलिए उपर्युक्त अपर अनुमंडल पदाधिकारी का नवसृजित पद सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन रहेंगे ।

3. पदों के सृजन पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय वेतनमान के निम्नतम स्तर पर परिगणित रूपये 5,45,18,025 (पाँच करोड़ पैंतालिस लाख अठारह हजार पचीस रूपये) (विवरणी परिशिष्ट–1 संलग्न) मात्र होगी । पदाधिकारियों के पदस्थापन के उपरान्त इसमें वृद्धि होने की संभावना बनी रहेगी । यह वित्तीय भार बजट–मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन–00 –094–अन्य स्थापनायें–000 अनुमंडलीय स्थापनायें, विपत्र कोर्ड–एन 2053000940001 एवं मांग सं0–33 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

(विमलेश कुमार झा)

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक–12/नि0–1009/10–सा0प्र0– /पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय संलेख ज्ञापांक 13314 दिनांक 23.09.2014 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 30.9.2014 में मद संख्या–07 के रूप में स्वीकृति के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–12/नि0–1009/10–सा0प्र0– 15378 /पटना–15, दिनांक– 11.11.14

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी राजपत्रित पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/11/14

सरकार के उप सचिव

Scanned with CamScanner

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

60वीं, 61वीं एवम् 62वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक/मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 21/बी.पी.एस.सी.–09/2016 सा. प्र.–4640, पटना–15, दिनांक 30.03.2016 के आलोक में 60वीं, 61वीं एवं 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को एक ही परीक्षा के माध्यम से आयोजित करने की संसूचित सहमति के आलोक में उक्त परीक्षा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों से अलग–अलग सेवाओं/संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियाँ (आरक्षण कोटिवार) निम्नांकित सारणी – 01 में दर्शायी गयी हैं।

सारणी – 01

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान + ग्रेड पे	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ						कुल पद	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला			
1.	बिहार प्रशासनिक सेवा (अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्ता एवं समकक्ष)	9300-34800/- G.Pay 5400	122	39	03	44	29	07	244	22 वर्ष	अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष
2.	बिहार पुलिस सेवा (पुलिस उपाधीक्षक)	9300-34800/- G.Pay 5400	15	04	00	06	05	00	30	20 वर्ष	
3.	बिहार वित्त सेवा (वाणिज्यकर पदाधिकारी)	9300-34800/- G.Pay 5400	37	12	00	13	09	02	73	22 वर्ष	
4.	जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन)	9300-34800/- G.Pay 5400	03	01	00	01	00	00	05	20 वर्ष	
5.	उत्पाद निरीक्षक	9300-34800/- G.Pay 4800	01	01	00	00	00	00	02	20 वर्ष	
6.	बिहार प्रोबेशन सेवा (प्रोबेशन पदाधिकारी)	9300-34800/- G.Pay 4200	27	12	00	12	07	02	60	21 वर्ष	
7.	ग्रामीण विकास पदाधिकारी	9300-34800/- G.Pay 4200	06	01	00	03	01	02	13	21 वर्ष	
8.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	9300-34800/- G.Pay 5400	03	00	00	00	00	00	03	22 वर्ष	
9.	नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी	9300-34800/- G.Pay 4800	03	00	00	00	00	00	03	22 वर्ष	
10.	बिहार निबन्धन सेवा (अवर निबंधक)	9300-34800/- G.Pay 4800	07	01	00	01	02	00	11	22 वर्ष	
11.	बिहार श्रम सेवा (श्रम अधीक्षक)	9300-34800/- G.Pay 4800	03	04	00	00	00	00	07	22 वर्ष	
12.	ईख पदाधिकारी	9300-34800/- G.Pay 4800	02	00	00	00	00	00	02	22 वर्ष	
13.	बिहार निर्वाचन सेवा (अवर निर्वाचन पदाधिकारी)	9300-34800/- G.Pay 4800	04	00	00	00	00	00	04	22 वर्ष	
14.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ	9300-34800/- G.Pay 4800	04	01	00	01	01	00	07	22 वर्ष	
15.	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	9300-34800/- G.Pay 4800	01	01	00	00	01	00	03	22 वर्ष	
16.	राजस्व अधिकारी	9300-34800/- G.Pay 4200	87	28	02	31	22	05	175	22 वर्ष	
कुल			325	105	5	112	77	18	642		

टिप्पणी : I. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक – 2342, दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक – 2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में क्रमशः महिलाओं एवं बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमानुकूल देय है।

II. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं. – 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में निःशक्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार 3% आरक्षण देय है।

Scanned with CamScanner

नियुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रारंभिक अर्हताः— ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा।

4. आरक्षणः— (i) आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं.-673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :-

(a) जाति प्रमाण पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र

उसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :-

(a) जाति प्रमाण पत्र,

(b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र

(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन करते समय विकलांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले विकलांग उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय आयोग द्वारा उसकी मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सके।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144, दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vi) भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण – सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 2526, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/ पोता/पोती के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण देय है। ऐसे आरक्षण का दावा करनेवाले अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

5. आयु–सीमाः (i) (क) उक्त परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा निम्नरूपेण निर्धारित है:–

01.8.2014 – 60वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
01.8.2015 – 61वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
01.8.2016 – 62वी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा

} अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष।

ख) उक्त परीक्षा में न्यूनतम उम्र सीमा निम्न प्रकार निर्धारित है:–

01.8.2014 – 60वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
01.8.2015 – 61वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
01.8.2016 – 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा

} सारणी – 01 में अंकित सेवाओं में क्रम संख्या 1, 3 एवं 8 से 16 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष, क्रम संख्या 2, 4, 5 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष तथा क्रम संख्या 6 एवं 7 के लिए 21 वर्ष।

ग) (i) 60वीं से 62वीं तक की किसी भी एक परीक्षा में उम्र सीमा के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को उक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माना जाएगा।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट तथा इस परीक्षा सहित, प्रारम्भिक परीक्षा में भाग लेने का कुल 3 (तीन) अवसर अनुमान्य है।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त विकलांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(v) 01 जनवरी, 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कंडिका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं।

Scanned with CamScanner

सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त-समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्ते कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समादेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) की कारा सेवा हेतु अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।

सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि का सही-सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा और ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र नहीं रहने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी विशेष की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

ारीरिक मता : बिहार पुलिस सेवा तथा जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन) के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 5 ईंच और न्यूनतम छाती की माप, बिना फुलाये, 32 (बत्तीस) ईंच होनी चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक नाप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप, बिना फुलाये, 31 (एकतीस) ईंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 2 ईंच होनी चाहिए।

ा सूची : उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, एकीकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की विहित, किन्तु समेकित, एकीकृत मेधासूची प्रकाशित की जायगी; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा के पश्चात् अन्तिम परीक्षाफल भी समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत/प्रकाशित किया जायगा।

ल्कः बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों जिनकी निःशक्तता 40% या उससे उपर की है एवं इस संबंध में चिकित्सा पर्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है, के लिए 150/- (एक सौ पचास) रूपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रूपये, कुल 200/- (दो सौ) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि एवं अन्य राज्य के सभी उम्मीदवारों के लिए 600/- (छः सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रूपये; कुल 650/- (छः सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। अभ्यर्थी अपने पास चालान की प्रति सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते है और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते है तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

ारम्भिक रीक्षा :

(i) सम्मिलित, संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।

(ii) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहां की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।

Scanned with CamScanner

...प्रारम्भिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा ... निमित्त घोषित किया जायेगा। इस निमित्त, कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या ...374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छानुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा।

प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क (मुख्य परीक्षा हेतु) नियमानुकूल ढंग से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में बैंक चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा।

मुख्य परीक्षा हेतु ऐच्छिक विषय एवं कोड निम्नवत है –

क्रम संख्या	विषय	Subject	विषय कोड
1.	कृषि विज्ञान	Agriculture	04
2.	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	Animal Husbandry & Veterinary Science	05
3.	मानव विज्ञान	Anthropology	06
4.	वनस्पति विज्ञान	Botany	07
5.	रसायन विज्ञान	Chemistry	08
6.	सिविल इंजीनियरिंग	Civil Engineering	09
7.	वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	Commerce & Accountancy	10
8.	अर्थशास्त्र	Economics	11
9.	विद्युत इंजीनियरिंग	Electrical Engineering	12
10.	भूगोल	Geography	13
11.	भू–विज्ञान	Geology	14
12.	इतिहास	History	15
13.	श्रम एवं समाज कल्याण	Labour and Social Welfare	16
14.	विधि	Law	17
15.	प्रबन्ध	Management	18
16.	गणित	Mathematics	19
17.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	Mechanical Engineering	20
18.	दर्शन शास्त्र	Philosophy	21
19.	भौतिकी	Physics	22
20.	राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	Political Science And International Relations	23
21.	मनोविज्ञान	Psychology	24
22	लोक प्रशासन	Public Administration	25
23.	समाज शास्त्र	Sociology	26
24.	सांख्यिकी	Statistics	27
25.	प्राणी विज्ञान	Zoology	28
26.	हिन्दी भाषा और साहित्य	Hindi Language & Literature	29
27.	अंग्रेजी भाषा और साहित्य	English Language & Literature	30
28.	उर्दू भाषा और साहित्य	Urdu Language & Literature	31
29.	बंगला भाषा और साहित्य	Bangla Language & Literature	32
30.	संस्कृत भाषा और साहित्य	Sanskrit Language & Literature	33
31.	फारसी भाषा और साहित्य	Persian Language & Literature	34
32.	अरबी भाषा और साहित्य	Arabic Language & Literature	35
33.	पाली भाषा और साहित्य	Pali Language & Literature	36
34.	मैथिली भाषा और साहित्य	Maithili Language & Literature	37

किसी भी उम्मीदवार को उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा।

...अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य ... सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का ...श पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम ...।

...त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना ... करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य ...ा पाये जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

Scanned with CamScanner

...से संबंधित तिथि एवं अन्य निदेश निम्नांकित हैं:–

	...प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि	27.09.2016 से
	...रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	27.09.2016 से 31.10.2016 तक
	...चालान डाउनलोड करने की तिथि	27.09.2016 से 31.10.2016 तक
	बैंक में चालान जमा करने की तिथि	27.09.2016 से 31.10.2016 तक
(...)	डैशबोर्ड पर चालान विवरणी भरने की तिथि	29.09.2016 से 31.10.2016 तक
(...)	ऑनलाईन आवेदन भरने की तिथि	27.09.2016 से 03.11.2016 तक

...आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाईन आवेदन भरते ...मय उपलब्ध है।

...पर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ ...लग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन ...वेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक ...विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की ...यी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के ...धार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी ...कार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

...म्मीदवार, चालान में अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा ...ुल्क जमा करेंगे।

...स विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, चालान की प्रति एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन ...को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी ...ी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत ...करना होगा।

...ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना ...आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

...आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number ...में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। ...साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि चालान पर अंकित Registration Number एवं हार्ड कॉपी पर अंकित Registration Number एक ही (same) है।

...मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं बैंक में चालान जमा करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

...उम्मीदवारों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि बैंक में चालान राशि जमा करने के बाद उसी दिन ...डैश बोर्ड पर चालान विवरणी अंकित कर लेंगे। चालान विवरणी अंकित करने के 24 घंटे बाद ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र खुलेगा। उम्मीदवार दिनांक 31.10.2016 तक निश्चित रूप से चालान विवरणी डैश बोर्ड पर अंकित कर लेंगे।

...इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

...उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

...संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

...र असैनिक सेवा में सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा संरचना में किये गये संशोधन से सम्बन्धित आवश्यक ...ना आयोग के वेबसाईट – www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। साथ ही बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालिका ...शाखा) और बिहार कनीय असैनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1951 के परिशिष्ट–"घ" में अंकित परीक्षा संरचना में ...किये गये संशोधन की विस्तृत विवरणी एवं पुनरीक्षित पाठ्यक्रम भी आयोग के उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है।

...अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित, ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की स्थिति में ऑनलाई... आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा और पूर्ण रूप से इसकी जबावदेही अभ्य... की होगी।

(हस्ताक्षर) 15/9/2016

अपर सचिव–सह–परीक्षा नियंत्र...
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

Scanned with CamScanner

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

56वीं, 57वीं, 58वीं एवम् 59वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2113, दिनांक 13.02.2014 द्वारा 56वीं से 59वीं तक के सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की संसूचित सहमति के क्रम में सरकार के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों से प्राप्त रिक्तियों के आलोक में, सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आयोग द्वारा निर्धारित ओ.एम.आर. आवेदन पत्र, जो मुख्य डाकघर, पटना सहित बिहार राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित प्रधान डाकघरों एवं अन्य डाकघरों, कुल 52 डाकघरों से दिनांक 02.09.2014 से 15.10.2014 तक विक्रय किया जाएगा, में आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। सरकार के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों से प्राप्त रिक्तियों की विवरणी निम्नलिखित (सारणी – 01) है।

सारणी – 01

क्र.सं.	पद का नाम	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ						कुल पद	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र
		GEN (01)	SC (02)	ST (03)	EBC (04)	BC (05)	BCL (06)			
1.	बिहार प्रशासनिक सेवा (उप समाहर्ता)	50	16	01	18	12	03	100	22 वर्ष	अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला – 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष
2.	बिहार पुलिस सेवा (पुलिस उपाधीक्षक)	71	19	02	17	10	02	121	20 वर्ष	
3.	पुलिस उपाधीक्षक (निगरानी विभाग)	06	02	--	02	01	--	11	20 वर्ष	
4.	बिहार वित्त सेवा (वाणिज्यकर पदाधिकारी)	45	15	01	17	10	02	90	22 वर्ष	
5.	जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन)	02	--	01	--	01	--	04	20 वर्ष	
6.	उत्पाद निरीक्षक	07	03	01	01	--	--	12	20 वर्ष	
7.	सहायक योजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक	34	10	03	13	08	03	71	21 वर्ष	
8.	बिहार प्रोबेशन सेवा (प्रोबेशन पदाधिकारी)	11	--	--	02	02	01	16	21 वर्ष	
9.	ग्रामीण विकास पदाधिकारी	12	01	--	04	03	02	22	21 वर्ष	
10.	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	55	17	01	19	13	03	108	21 वर्ष	
11.	बिहार शिक्षा सेवा	25	15	01	21	16	04	82	22 वर्ष	
12.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	02	01	--	--	--	--	03	22 वर्ष	
13.	नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी	05	01	--	02	01	--	09	22 वर्ष	
14.	बिहार निबन्धन सेवा (अवर निबन्धक)	11	03	01	04	--	--	19	22 वर्ष	
15.	बिहार कारा सेवा (कारापीक्षक)	09	03	--	02	02	01	17	22 वर्ष	
16.	बिहार श्रम सेवा (श्रम अधीक्षक)	07	01	--	--	01	--	09	22 वर्ष	
17.	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा	09	04	--	02	01	01	17	22 वर्ष	
18.	ईख पदाधिकारी	01	01	--	--	--	--	02	22 वर्ष	
19.	सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई	03	01	--	--	01	--	05	22 वर्ष	
20.	बिहार निर्वाचन सेवा (अवर निर्वाचन पदाधिकारी)	12	03	--	04	02	01	22	22 वर्ष	
21.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ	01	01	--	--	01	--	03	22 वर्ष	
22.	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	03	--	--	--	--	--	03	22 वर्ष	
	कुल	381	117	12	128	85	23	746		

दिनांक 15.10.2014 को अपराह्न 5.00 बजे तक भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र का लिफाफा डाकघर, जिससे ओ.एम.आर. आ पत्र क्रय किया गया है, में ही जमा किया जायेगा। सम्बन्धित डाकघरों की सूची, जिनसे ओ.एम.आर. आवेदन पत्र विक्रय किया जाएगा, की वि निम्नलिखित (सारणी – 02) है।

सारणी – 02

1.	पटना जी.पी.ओ.	14.	शेरघाटी एस.ओ.	27.	सीवान एच.ओ.	40.	मधेपुरा एम.डी.जी.
2.	बांकीपुर एच.ओ.	15.	आरा एच.ओ.	28.	गोपालगंज एच.ओ.	41.	सुपौल एम.डी.जी.
3.	पटना यूनिवर्सिटी एस.ओ.	16.	बक्सर एच.ओ.	29.	बेतिया एच.ओ.	42.	भागलपुर एच.ओ.
4.	पटना सिटी एस.ओ.	17.	सासाराम एच.ओ.	30.	मोतिहारी एच.ओ.	43.	कहलगांव एस.ओ.
5.	एल.बी.एस. नगर एस.ओ.	18.	डेहरी–ऑन–सोन एस.ओ.	31.	दरभंगा एच.ओ.	44.	नवगछिया एस.ओ.
6.	दानापुर कैंट एस.ओ.	19.	मधुआ एम.डी.जी.	32.	लहेरियासराय एच.ओ.	45.	टी.एन.बी. कॉलेज
7.	बिहारशरीफ एच.ओ.	20.	मुजफ्फरपुर एच.ओ.	33.	मधुबनी एच.ओ.	46.	बांका एच.ओ.
8.	गया एच.ओ.	21.	बिहार यूनिवर्सिटी एस.ओ.	34.	समस्तीपुर एच.ओ.	47.	मुंगेर एच.ओ.
9.	मगध यूनिवर्सिटी एस.ओ.	22.	हाजीपुर एच.ओ.	35.	पूर्णिया एच.ओ.	48.	जमुई एच.ओ.
10.	जहानाबाद एच.ओ.	23.	सीतामढी एच.ओ.	36.	कटिहार एच.ओ.	49.	शेखपुरा एस.ओ.
11.	अरवल एम.डी.जी.	24.	शिवहर एम.डी.जी.	37.	किशनगंज एम.डी.जी.	50.	लखीसराय एम.डी.
12.	नवादा एच.ओ.	25.	छपरा एच.ओ.	38.	अररिया एम.डी.जी.	51.	बेगुसराय एच.ओ.
13.	औरंगाबाद एच.ओ.	26.	गढ़वा एच.ओ.	39.	सहरसा एच.ओ.	52.	खगड़िया एस.ओ.

2. डाकघर से विक्रय किए जाने वाले ओ.एम.आर. आवेदन प्रपत्र का मूल्य केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनज उम्मीदवारों के लिए ₹ 175/– (एक सौ पचहत्तर रूपये मात्र) एवं बिहार राज्य समेत सभी राज्यों के अन्य उम्मीदवारों के लिए ₹ 4 (चार सौ रूपये मात्र) है।

2.1 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में उल्लिखित महत्वपूर्ण निर्देशों तथा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध सूचना पुस्तिका को सावधानीपूर्वक पढ़ आवेदन भरें। ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में काट–छाँट/पुनर्लेखन न करें।

2.2 भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र को निर्देशानुसार प्रावधानित लिफाफा में रखें।

2.3 उक्त प्रावधानित लिफाफा के ऊपर दाहिने कोने पर उम्मीदवार ओ.एम.आर. आवेदन पत्र संख्या ब्ल्/काले स्याही के बॉल प्वायंट अनिवार्यतः अंकित करें, अन्यथा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र डाकघर द्वारा स्वीकार नहीं किया जायगा। तदपरान्त उक्त लिफाफा को इस लिफाफा को पुनः सम्बन्धित डाकघर में दिनांक 15.10.2014 को अपराह्न 5.00 बजे तक निश्चित रूप से जमा कर पावती रसीद प्राप्त करें लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अन्तिम तिथि के बाद सम्बन्धित डाकघरों द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र का लिफाफा कतई स्वीक किया जायगा।

2.4 उम्मीदवार जिस डाकघर से ओ.एम.आर. आवेदन प्रपत्र का क्रय करेंगे उसे भरने के बाद उसी डाकघर में जमा करेंगे। आवेद करने के समय सम्बन्धित डाकघर द्वारा उम्मीदवार को प्राप्ति रसीद दी जाएगी। उम्मीदवार उस प्राप्ति रसीद को अपने पास रखे भविष्य में, आयोग से उसके एवं ओ.एम.आर. आवेदन पत्र संख्या के आधार पर पत्राचार कर सकते है।

3. 56वीं से 59वीं तक की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाएँ एक साथ, संयोजित रूप से, आयोजित की जायेंगी; अतएव एक ही आवेदन पत्र भरा जाए उम्मीदवार को एक ही अनुक्रमांक आवंटित किया जाएगा।

4. **शैक्षिक योग्यता** : आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक आवेदक को किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समक अवश्य होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

...–सीमा [i] (क) उक्त परीक्षा मे अधिकतम उम्र सीमा निम्नरूपेण निर्धारित है:–

1.8.2010 – 56वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
1.8.2011 – 57वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
1.8.2012 – 58वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
1.8.2013 – 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा

} अनारक्षित (पुरुष) – 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) – 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) – 42 वर्ष।

उक्त परीक्षा में न्यूनतम उम्र सीमा निम्न प्रकार निर्धारित है:–

1.8.2010 – 56वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
1.8.2011 – 57वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
1.8.2012 – 58वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
1.8.2013 – 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा

} सारणी – 01 में अंकित सेवाओं में क्रम संख्या 1, 4 एवं 11 से 22 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष, क्रम संख्या 2, 3, 5 एवं 6 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष तथा क्रम संख्या 7 से 10 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष।

56वीं से 59वीं तक की किसी भी एक परीक्षा में उम्र सीमा के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को उक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माना जाएगा।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्षों की छूट तथा इस परीक्षा सहित, प्रारम्भिक परीक्षा में भाग लेने का कुल 3 (तीन) अवसर अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त विकलांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

जो उम्मीदवार बिहार सरकार की सेवा में हैं तथा सम्पुष्ट हैं, वे उम्र सीमा के अन्दर रहने पर भी बिहार पुलिस सेवा, जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन) एवं बिहार कारा सेवा (काराधीक्षक) में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे (इस शर्त को विलोपित करने से सम्बन्धित विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है। सरकार द्वारा इस बिन्दु पर लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी)।

01 जनवरी, 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कंडिका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्ते पूरी करते हैं।

कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त–समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्ते कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, उनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) की कारा सेवा हेतु ऊपरी उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।

ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से सैन्य सेवा से विमुक्त होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
विमुक्त होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

शारीरिक क्षमता : बिहार पुलिस सेवा तथा जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन) के उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 5 ईंच और न्यूनतम छाती की माप, बिना फुलाये, 32 (बत्तीस) ईंच होनी चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 ईंच तथा छाती की माप, बिना फुलाये, 31 (एकतीस) ईंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 2 ईंच होनी चाहिए।

रिक्तियाँ : उक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार सम्पुष्ट कुल रिक्तियों का विवरण सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षाफल के साथ ही प्रकाशित किया जायगा जो समेकित एवं एकीकृत होगा न कि प्रत्येक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षावार अलग–अलग।

मेधा सूची : उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, एकीकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की विहित, किन्तु समेकित, एकीकृत मेधासूची प्रकाशित की जायगी; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा पश्चात् अन्तिम परीक्षाफल भी समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत/प्रकाशित किया जायगा।

प्रारम्भिक परीक्षा :

(i) सम्मिलित, संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ जो 150 अंकों की एकल विषय, सामान्य अध्ययन, में 2 (दो) घंटों की होगी। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।

(ii) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहां की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ–व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।

(iii) इस प्रारम्भिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का एक ही परीक्षाफल, अनुवर्ती सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा। इस निमित्त, कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

उक्त सफल उम्मीदवारों से सम्मिलित, संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से, पुनः, ससमय, आवेदन आमन्त्रित किये जायेंगे। **प्रारम्भिक परीक्षा एवम् मुख्य परीक्षा के आवेदनों में दी गयी सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।**

वैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

आवेदक ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के स्तम्भ 1 – आवेदित सत्र के सामने वृत्ताकार गोले में अंकित संख्या 1, 2, 3 एवं 4 में से कोई एक गोले को या सभी गोलों को काली/ब्लू स्याही के बॉल प्वायंट पेन से भरेंगे, यथा, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 56वीं के लिए 1, 57वीं के लिए 2, 58वीं के लिए 3 एवं 59वीं के लिए 4 एवं उसके ऊपर के आयताकार बॉक्स में भरे गये वृत्ताकार गोले की संख्या को ही लिखेंगे।

उम्मीदवार का नाम, पिता/पति का नाम लिखने एवं गोले को काला करने के क्रम में आवेदक अपने नाम के शब्दों के बीच एक बॉक्स को खाली रखेंगे, यथा, ANIL KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही गोलों को काला करेंगे:–

A	N	I	L		K	U	M	A	R		R	A	M	

अनुलग्नक-4

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-663/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No ..... Date .....

To,

Hon'ble Chief Minister,
Govt. of Bihar,Patna.

Sub:- Quashing of the General Administration Department, Bihar circular no.-4900 dated 02-04-2012 issued against the letter and spirit of IAS (Appointment by Selection) Regulations, 1997. Discontinuation of Promotion of Non-SCS to IAS through appointment by Selectionand to accelerate the procedure to fill up the large vacancy of IASby Promotion of SCS/BAS officer under Rule 8(1) ofIAS (Recruitment) Rules 1954.

Sir,

With reference to the above mentioned different subjects, firstly, we would like to draw your kind attention towards therule 8 of IAS (Recruitment) Rule, 1954 whichdeals with the provision of recruitment of IAS by Promotion or Selection for appointment to State and Joint Cadre. **This rule was framed immediately after Independence in 1954 when many states of India didn't have the sufficient number of State Civil ServiceOfficers.**As a stop gap arrangement to meet the short-fall of requisite number of directly recruited IAS officers, provision for appointment of IAS by selection was incorporated in IAS (Recruitment) Rule, 1954. It is more evident from the reading of the first line of rule 8(2) of the said rule which reads as-"***The Central Government may,*** *in* ***special circumstances*** *and on the recommendation of the State Government concerned and in consultation with the Commission and in accordance with such regulations as the Central Government may, after consultation with the State Governments and the Commission, from time to time, make, recruit to the Service any* ***person of outstanding ability and merit*** *serving inconnection with the affairs of the State who is not a member of the State Civil Service or that State (but who holds a gazetted post in a substantive capacity).* "

Scanned with CamScanner

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No ..... Date .....

2.The word "may" used in the said rule itself explains the intention of law maker explicitly that it is not mandatory and it can be used when special circumstances arises. In other words , when eligible SCS officers are available for promotion to IAS , this provision of recruitment of IAS by Selection should not be used.

3.The prevailing formula of promotion to IAS officer and present cadre strength of IAS are as follows;

(a) (Total Strength of IAS in State-Number of Training Reserve)*33.33% = Promotional post of IAS (Say "x")

(b)15% of "x" = Non-SCS officer under special circumstances and if any exigency arises, may be promoted to IAS.

Present Status of IAS in Bihar	Cadre strength	Present Strength	Vacancy	Year of Last batch inducted into IAS U/R 8(1)/8 (2) through Promotion/Selection
Total Strength Of IAS	342	N.A.	N.A.	-
Direct Recruitment	228	N.A.	N.A.	-
Through Promotion	104	40	64	
Through Promotion to BAS(SCS)	89	26	63	1989(34th Batch)
Through Selection to Non SCS	15	14	01	1996(39th Batch)

Scanned with CamScanner

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-663/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No ..... Date .....

4. This was a temporary provision which has become a regular feature in practice in Bihar. It is very clear that at present. there is neither any special circumstance nor there is any exigency to recruit officers through selection as the state administrative officers of outstanding merit and ability. having even more than 20 years of substantiveservice experienceis available in good numbers for promotion to IAS in Bihar.

5. Further, **no standard mechanism** has been evolved or prescribed **for adjudging the outstanding merit** and ability of a Non-State Civil Service Officer for being considered and selected for appointment to the I.A.S. . Nonetheless to say that, **it promotes use of discretion** in the appointment which is the root cause of all kind of discrimination.

6. It is a known fact that BPSC prepares the list of successful candidates according to highest to lowest marks scored in the competitive examination and in general.**the top rankers opt for Bihar Administrative Service.** Then how.the Non-SCS Officer. lower in the merit list published by BPSC. becomes officer of extra ordinary and outstanding merit for appointment to IAS post on the basis of selection under rule 8(2) by state of Bihar.

7. It is for your kind information that many states like Haryana,Jharkhand,Uttar Pradesh and other states have discontinued the process of the appointment of Non-SCS officer to IAS by selection in recent years.

8. Bihar Administrative Service Association further would like to draw your kind attention towards the spirit of statutory provision of the IAS (Appointment by Selection) Regulations, 1997**rule 4(1) (iii)which deals with the qualifying minimum length of service for officers to be appointed as IAS through Selection.** It requires minimum 8 years of continuous service

Scanned with CamScanner

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No ..... Date .....

under the state government in any post which has been **declared equivalent to the post of Deputy Collector**in the State Civil Service. In Bihar, **a resolution** was adopted by Government in 2001 underthe said rule which**mandated eight years of service after one promotion of Non-SCS officers**as minimum length of service for eligibility under rule 8(2). However in 2012, this resolution has been modified against the spirit of the aforesaid rule without any rhymes or reason in the garb of compliance of the court order.The present resolution no. 1/c dated 2.4.2.12 /GAD/Bihar(Photo Copy is annexed) is defective in nature ,discriminatory ,biased , unconstitutional ,against the letter and spirit of the original provisions of the said rule. It has been designed to bestow favors on non SCS officers , hence resolution is liable to be quashed ab initio.

9. This leads to another point of serious and grave concern causing hierarchical issues as much **junior Non-SCS officers getting inducted into IAS much earlier in comparison to the SCS officers.**It is pertinent to note that currentlySCS officers of 1989 batch have been inducted into IAS cadre whereas at the same yearnon-SCS officers of 1996 batch got inducted to IAS by selection.

10. It is surprising to note that present number ofnon-SCSofficers promoted to IAS by selection has been surprisingly **saturated**, while **63 posts** of IAS to be filled by promotion**from SCS,arelying vacant** despite availability of sufficient numbers of SCS/BAS officers.

11. It is also notable that Promotionto IPS post by selection of Non-SPS officers have almost been discontinued in India .

12. Therefore, in light of the above discussion Bihar Administrative Service Associationdemands for the

Scanned with CamScanner

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-663/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No ..... Date .....

(a) immediate quashing of the General Administration Department. Biharcircular no. 4900 dated 02-04-2012,

(b) discontinuation of promotion of Non-SCS officer into IAS. as large numbers of BAS/SCS officers are available for promotion to IAS as being done in states like Uttar Pradesh, Haryana and other states of India.

(c) the procedure of induction of SCS officers to IAS by Promotion should be expedited at once and all the vacancies should be filled at the earliest.

Yours faithfully

Encl:-a/a

Sd/-
(Anil Kumar)

Sd/-
(Shashank Shekhar Sinha)

Memo No.- ...../ Date- .....
CC:- Chief Secretary,Bihar/ Additional Chief Secretary, General Administration Department,Govt. of Bihar, Patna for information and necessary action.

Sd/-
(Anil Kumar)

Sd/-
(Shashank Shekhar Sinha)

Memo No.- ...../ Date- .....
CC:- Chairman, Union Public Service Commission, Dhaulpur House, UPSC Bhawan, New Delhifor information and necessary action.

Sd/-
(Anil Kumar)

Sd/-
(Shashank Shekhar Sinha)

Memo No.- ...../ Date- .....
CC:- Secretary, Department of Personnel and Training, Govt. of India, New Delhifor information and necessary action.

Sd/-
(Anil Kumar)

Sd/-
(Shashank Shekhar Sinha)

Scanned with CamScanner

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-663/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No ..... Date .....

Memo No.-..... Date- .....

CC:- Secretary General, All India Federation of State/Civil Service Association, New Delhi for information and necessary action.

Sd/-
(Anil Kumar)

Sd/-
(Shashank Shekhar Sinha)

Memo No.- 10/ Date- 21.01.2020

CC:- To all Editor of Hindi and English, News Paper, Bihar for circulation as press release.

21/01/2020
(Shashank Shekhar Sinha)

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प 2·4·12

विषयः— **भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अंतर्गत गैर–राज्य असैनिक सेवा के पदों को उपसमाहर्त्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में।**

माननीय कैट, (पटना पीठ), रांची द्वारा ओ0ए0 संख्या–221/01 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–10616/2010 में पारित न्यायादेश में विषयगत विभागीय संकल्प संख्या–2178 दिनांक 21.04.2001 को निरस्त किये जाने के आलोक में उक्त विभागीय संकल्प को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:—

1. उक्त संकल्प की कंडिका–1 के द्वितीय पारा में अंकित–

'बिहार वन सेवा', 'बिहार आरक्षी सेवा' एवं 'राज्य प्रशासनिक सेवा' से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गों के 10,000– 15,200/–रूपए के वेतनमान तथा उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कार्यरत् पदाधिकारियों के कर्त्तव्य तथा दायित्वों को देखते हुए इन वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की धारा–4 के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्त्ता के समकक्ष घोषित किया जाए। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम–से–कम आठ वर्षो की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने के विचार क्षेत्र में आ सकते हैं"

के स्थान पर

'बिहार वन सेवा', 'बिहार आरक्षी सेवा' एवं 'राज्य प्रशारानिक सेवा' से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गों के 8,000– 13,500/–रूपये का अपुनरीक्षित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान पे0 बैंड–3, रू0 15,600– 39,100+ग्रेड पे0–रू0 5,400/–) तथा उच्चतर वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशारानिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की धारा–4 के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्त्ता के पदो के समकक्ष घोषित किया जाय। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम–से–कम आठ वर्षो की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने पर विचार क्षेत्र में आ सकते हैं"।

2. यह निर्णय तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

Scanned with CamScanner

आदेशः— आदेश है कि सर्व—साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(आनन्द बिहारी प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0—1019/2011 (खंड—1)—सा0प्र0— /पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि—अधीक्षक, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की दो प्रति एवं तत्संबंधी सी0डी0 के साथ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 500 (पांच सौ) मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (प्रशाखा—1) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0—1019/2011 (खंड—1)—सा0प्र0— 4900 /पटना, दिनांक :2·9·12

प्रतिलिपि—राज्यपाल के प्रधान सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/विकास आयुक्त/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारियों/प्रशाखाओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक-05

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-633/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 03 Date 06.01.2020

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार, पटना।

विषय:- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन में विसंगतियों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विगत कुछ वर्षों से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन में अपनाई गई नीति के कारण ऐसी विसंगतियाँ पैदा हो गई है, जो न केवल प्रशासनिक सिद्धांतो के विरूद्ध है बल्कि इसका बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है।

ऐसे अनेक उदाहरण पाए गए है जिसमें मूल कोटि के पदाधिकारी को उप-सचिव, अपर-समाहर्त्ता अथवा अपर सचिव तथा अपर सचिव स्तर के पदाधिकारी को अपर-समाहर्त्ता के पद पर पदास्थापित किया गया है। उदहारण स्वरूप सारण एवं सुपौल के अपर समाहर्त्ता अपर सचिव स्तर के पदाधिकारी है। इसी प्रकार उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों को क्रमश: वरीय उप-समाहर्त्ता, सासाराम, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, महनार (वैशाली) के रूप में पदस्थापित किया गया है।

अत: महोदय से अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन में हुई इस प्रकार की विसंगतियों को यथाशीघ्र दूर कराने तथा भविष्य में किये जानेवाले पदास्थापन में इस पर रोक लगाने हेतु संबंधित को निदेश देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
6/1/2020
(अनिल कुमार)

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक (60)

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-633/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 05 Date 6.1.2020

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार, पटना।

विषय:- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण से संबंधित नीति एवं कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने के संबंध में।
प्रसंग:- सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या-8770, दिनांक-08.08.11

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन संकल्प (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, जो राज्य प्रशासन के द्वितीय पंक्ति के महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उनकी कार्य क्षमता, दक्षता, योग्यता की वृद्धि के लिए समय-समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण देने का निर्णय निम्न रूप से लिया गया था:-

प्रशिक्षण का प्रकार	प्रशिक्षण अवधि
एम-1 (6-10 साल की सेवा)	02 सप्ताह
एम-2 (11-15 साल की सेवा)	03 सप्ताह
एम-3 (16-20 साल की सेवा)	04 सप्ताह
20 साल से अधिक की सेवा	LBSNAA, मसूरी या समकक्ष संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना आनिवार्य।

इसी प्रकार परीक्ष्यमान उप-समाहर्त्ता के लिए प्रशिक्षण अवधि में भारत दर्शन का बाध्यकारी प्रावधान किया गया था। उक्त सभी प्रशिक्षण देने का दायित्व बिपार्ड, पटना को दिया गया था। कतिपय कारणों से विगत कुछ वर्षो से सेवारत पदाधिकारी तथा परीक्ष्यमान उप-समाहर्त्ता का प्रशिक्षण कार्यक्रम अवरूद्ध हो गया है।

Scanned with CamScanner

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-663/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
ıil Kumar Tiwary
9431085120

ıint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 09 Date 15.01.2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

विषयः- दिनांक-01.09.2005 के पूर्व उप-समाहर्त्ता के नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के संबंध में।

प्रसंगः- CWJC संख्या 10901/2006 माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं A-55606/2008 माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में क्रमशः दिनांक 03.08.2011 एवं 19.12.2019 को पारित आदेश।

महाशय,

बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बिहार पेंशन नियम, 1950 लागू था। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार में नई पेंशन योजना दिनांक-01.09.2005 से लागू की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC संख्या 10901/2006 मो0 कयामुद्दीन अंसारी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 03.08.2011 को पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) एवं माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज द्वारा CWJC संख्या A-55606/2008 महेश नारायण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में दिनांक 19.12.19 को पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) में यह न्याय निर्णय दिया गया है कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किए गए पदाधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाए।

अतः संघ का अनुरोध है कि 01/09/2005 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधा पर नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों (46 एवं 47 बैच) को पुरानी पेश योजना से आच्छादित करने के लिए उच्चस्तरीय निर्णय लेने की कृपा की जाए।

अनुलग्नकः- यथोक्त।

विश्वासभाजन

15/1/2020

(अनिल कुमार)

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक - 8

(4)

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-663/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No ..... Date .....

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

विषयः— बिहार कारा सेवा के अनुरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को भी 01.01.1996 के प्रभाव से 6500–10500 का वेतनमान 8000–13500 स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि C.W.J.C. No.–22597/2012 सुरेन्द्र कुमार अम्बष्ट एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में न्यायादेश से आच्छादित बिहार कारा सेवा के कुल 16 पदाधिकारियों को दिनांक–01.01.1996 से स्वीकृत वेतनमान 8000–13500 के अनुरूप वेतनमान दिये जाने हेतु कार्रवाई की जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No.–22597/2012 सुरेन्द्र कुमार अम्बष्ट एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1274 दिनांक–12.02.2019 द्वारा न्यायादेश से आच्छादित बिहार कारा सेवा के 16 पदाधिकारियों को 01.01.1996 के प्रभाव से मूल कोटि का वेतनमान 6500–10500/– को संशोधित कर 8000–13500/– स्वीकृत किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के संकल्प सख्या 3ए–2 वे.पु–16/09–630 दिनांक 21 जनवरी, 2010 (पृ.–123–114/प.) द्वारा बिहार कारा सेवा को 01.01.1996 के प्रभाव से निम्न वेतनमान अनुमान्य किया गया था:–

क्र.	पदनाम	पे–स्केल
1.	अधीक्षक, उपकारा	6500–10500
2.	अधीक्षक, मंडल कारा	8000–13500
3.	अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/सहायक कारा महानिरीक्षक	10000–15200

दूसरी ओर राज्य की प्रीमियर सेवा यथा– बिहार प्रशासनिक सेवा का वेतनमान दिनांक 01.01.1996 को निम्न प्रकार निर्धारित था:–

क्र.	पदनाम	पे–स्केल
1.	मूल (कोटि)	6500–10500
2.	उप सचिव (कोटि)	10000–15200
3.	अपर सगाहर्त्ता (कोटि)	12000–16500
4.	संयुक्त सचिव/उपर सचिव (कोटि)	14300–18300
5.	विशेष सचिव (कोटि)	16400–20000

Scanned with CamScanner

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No.–22597/2012 सुरेन्द्र कुमार अम्बष्ट एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–01.01.1996 को बिहार कारा सेवा के मूलकोटि में कार्यरत 16 पदाधिकारियों का वेतनमान विभागीय संकल्प 1274 दिनांक 13.02.2019 द्वारा 6500–10500 के स्थान पर 8000–13500 संशोधित करने के फलस्वरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का वेतनमान 01.01.1996 को 6500–10500 रह गया। इस प्रकार बिहार कारा सेवा के संशोधित वेतनमान प्राप्त करने वाले 16 पदाधिकारियों का वेतनमान राज्य प्रीमीयर सेवा के भी सभी पदाधिकारियों के वेतमान से भी काफी अधिक हो गया।

5. उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.01.1996 से पूर्व राज्य के प्रीमीयर सेवा यथा–बिहार प्रशासनिक सेवा का वेतनमान अधिक होने तथा प्रोन्नति के अवसर बेहतर होने के कारण इन सेवाओं में उच्चतर मेघा क्रम वाले अभ्यार्थियों की नियुक्ति हुई थी। परन्तु रिट याचिका संख्या–22597/2015 से अच्छादित बिहार कारा सेवा के 16 पदाधिकारियों का वेतनमान संशोधित हो जाने के फलस्वरूप उन से कई वर्ष वरीय बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वेतनमान से भी उनका वेतनमान काफी अधिक हो गया है।

6. ज्ञातव्य हो कि 1996 में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति 2200 के वेतनमान में होती थी, जबकि कारा सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति 2000 के वेतनमान में होती थी। अब स्थिति यह है कि कारा सेवा के पदाधिकारियों का वेतनमान बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से अधिक हो गया है।

7. अतः बिहार मुकदमा नीति 2011 की कंडिका–4(7) के आलोक में दिनांक 01.01.1996 को राज्य प्रीमीयर सेवा यथा–बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 6500–10500 के स्थान पर 8000–13500 रूपये का संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने के बिन्दु पर नीतिगत निर्णय लेने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

ह./–
(अनिल कुमार)

ज्ञापांकः– 71 / दिनांक– 10-6-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

10/6

(अनिल कुमार)

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक-9

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-633/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 07 Date 13.01.2020

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री
बिहार,

विषयः- बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन की सैद्धान्तिक मंजूरी हेतु आभार।

महाशय,

दिनांक-11.01.2020 को बिहार मंत्रिपरिषद द्वारा बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई है, जिसके लिए बिहार राज्य के सभी राज्यस्तरीय पदाधिकारी के तरफ से बिहार प्रशासनिक सेवा संघ आपका हृदय से आभार प्रकट करता है। बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण का भविष्य मे गठन कानुन के नैसर्गिक सिद्धान्त Nemo judex in causa sua (no-one is judge in his own cause) को फलिभूत करेगा। संघ को पूर्ण विश्वास है कि आपके अत्यन्त दक्ष एवं कुशल नेतृत्व में राज्य के सभी सरकारी सेवकों के हितार्थ ऐसे निर्णय भविष्य मे भी लिए जाते रहेंगे।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ भी भवदीय को आश्वस्त करता है कि आपके नेतृत्व में सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी अपनी पूर्ण क्षमता, दक्षता, कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से सदैव कार्य करते रहेंगे।

विश्वासभाजन
13/1/2020
(अनिल कुमार)

Scanned with CamScanner